न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 7/2023 दायर दिनॉक 11.01.2023

वादी		प्रतिवादी
1. किस्तुरी देवी पत्नि धनराज, जाति माली, निवासी विवेकानन्द स्कुल के पास गाढ़ा बास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 25.02.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पढानो का बाढ़, डीडवाना के खेत खसरा सं0 204 रकबा 5.0400 हैक्टे0, व खसरा सं. 205 रकबा 15.0500 हैक्टे0, कुल 20.09 हैक्टे0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की भूल से सहवन से या गलती से वादिनी के पति का नाम धनराज का नाम धनाराम दर्ज हो गया, जबकि सही नाम धनराज है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये है। इसलिए प्रार्थी को भविष्य में भारी समस्याओं का सामना करने की आशंका है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त खेताय में धनराज के स्थान पर धनाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक तथा न्यायोचित है। वादिनी के पति के नाम का गलत अंकन धनाराम का नाम हटाया जाकर उसकी जगह धनराज नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। इसी बाबत यह प्रार्थना पत्र द्वारा रिकॉर्ड दुरूस्ती का पेश है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

राजस्व ग्राम पढानो का बाढ़, डीडवाना के खसरा सं0 204 रकबा 5.0400 हैक्टे0, व खसरा सं. 205 रकबा 15.0500 हैक्टे0, कुल 20.09 हैक्टे0 में वादीनी के पति का नाम धनाराम के स्थान पर धनराज खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाने का आदेश सादर फरमावें। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर वादीनी के पति का नाम धनराज के नाम से खातेदारी इन्द्राज किया जावें।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/रीडर/2024/08 दिनांक 01.01.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:25:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया सरहद पढानो का बाढ़ डीडवाना के खसरा सं0 204 व 205 में वादीनी अपने पति का नाम धनाराम के स्थान पर धनराज दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसर सरहद पढानो का बाढ़ के खसरा सं0 204, 205 व नवीन

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

खसरा नम्बर 243,244 में खातेदार कस्तुरीदेवी पत्नि धन्नाराम जाति माली निवासी डीडवाना का नाम राजस्व रेकर्ड में नामा0 सं0 451 जरिये बैचाण दर्ज हुआ है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम क्या है इसके संबंध में प्रार्थीया के द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये। उक्त नामान्तरकरण में वादीनी के पति का नाम धनाराम दर्ज हुआ है जबकि वादीनी गलत अंकन होने का कथन कर रहा है। वादीनी के कथन व साक्ष्यों में भिन्नता है इस कारण वादीनी किसी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तहसीलदार डीडवाना की रिर्पोट के अनुसार रेकर्ड का अंकन विक्रय पत्र के आधार पर हुआ है। वादी के पास विक्रय पत्र को संसोधन करवाने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादीनी के गलत अंकन होने के कथन को स्वीकार नही किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादीनी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

—:: आदेश ::—

सरहद पढानो का बाढ़, डीडवाना के खसरा सं0 204 व 205 में वादीनी के पति का नाम धनाराम के स्थान पर धनराज दुरूस्ती बाबत वादीनी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 25.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:25:40 IST
Reason: SelfAttested